न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 536/2025

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
नेनाराम पुत्र चुतराराम (जाति विश्नोई, निवासी चितलवाना, तहसील चितलवाना, जिला जालोर)		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार चितलवाना जिला, जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर) राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 03/2025 (2025/31) दिनांक 20.06.2025

उपस्थित–
1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15 .12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत अपीलांट–प्रार्थी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 03/2025 (2025/31) में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट–प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि तहसील एवं ग्राम चितलवाना के खसरा नम्बर 1560 रकबा 1.600 है0 व 1761 रकबा 0.1900 हैक्टर स्थित है। जो वक्त सेटलमेंट से एक ही खसरे का हिस्सा था तथा मौके पर भी एक ही खसरा था एवं कब्जा काश्त भी सेटलमेंट के पूर्व से अनवरत एक ही खसरे के रूप में 1.8300 है0 भूमि पर चला आ रहा है। उक्त आराजी के उत्तरी पूर्व छोर पर आंशिक रकबा इस खसरे में से आंशिक रूप से निकल कर संलग्न नजरी नक्शा–'परिशिष्ट–अ' में ए से बी जगह पर, जहां सेटलमेंट से पूर्व से बड़ा रास्ता चला आ रहा है, वहां समय–समय पर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया, इसी जगह पर कटाण के रास्ते की तरमीम करते हुए खसरे कायम करने थे, परंतु वक्त सेटलमेंट भूल के कारण उक्त रास्ते की सीमा, मौके की भौतिक स्थिति के विपरित दर्ज होने से प्रार्थी के खेत दो हिस्से नक्शें में क्रमशः 1560 व 1761 के रूप में दर्ज होकर, बीच में रास्ता 1760 कायम

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

हो गया। अतः प्रार्थी के खेत ख0नं0 1761 व 1560 के मध्य ख0नं0 1760 की त्रुटीपूर्ण रास्ते की तरमीम, प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शें परिशिष्ट 'अ' में बरंग हरा से लाल की जगह करते हुए, ख0नं0 1760 की भूमि के ख0नं0 1761 में समाहित करते हुए, ख0नं0 1761 बरंग लाल की जगह ख0नं0 1760 कायम करने व इसी अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर आंशिक रूप से रकबा में परिवर्तन हो तो उसे भी दुरस्त करने का आग्रह किया गया। जिसे तहसीलदार चितलवाना की मौका रिपोर्ट कमांक 5426 दिनांक 10.6.25 के आधार पर कि "प्रार्थी के खातेदारी ख0नं0 1560 व 1761 के मध्य ख0नं0 1760 रकबा 0.040 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि है, जो वक्त प्रथम सेटलमेंट से ही गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है। इसी अनुरूप प्रथम सेटलमेंट व द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा भूमि की किस्म निर्धारित की है। ख0नं0 1760 रकबा 0.040 है0 किस्म गै0मु0रास्ता का क्षेत्रफल व तरमीम वर्तमान में दुरस्त ही है। जिसमें प्रथम व द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा कोई त्रुटी नही करने से प्रकरण में दुरूस्ती किया जाना न्यायसंगत नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थी ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम चितलवाना के ख0नं0 1560 व 1761 में आयी हुई है। वक्त सेटलमेंट दोनो खसरे एक ही चक में आए हुए थे। प्रार्थी का कब्जा एक ही खसरे पर सेटलमेंट से पूर्व अनवरत चलता आ रहा है। उक्त खसरे के उत्तरी पूर्व हिस्से पर एक रास्ता चल रहा है, जिस पर समय–समय पर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है। जिसे वक्त सेटलमेंट गलती से प्रार्थी के खेत के बीचो–बीच में दर्शा दिया जाने से प्रार्थी का खेत के दो हिस्से, नक्शें में ख0नं0 1560 व 1761 कायम कर दिये गये, जो पूर्णतया गलत होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त रास्ता ख0नं0 1760 को प्रार्थी के ख0नं0 1761 के उत्तरी–पूर्वी हिस्से से जहां रास्ता कायम चला आ रहा है, उसी जगह दुरस्त कर अंकित किया जावे। प्रकरण में तहसीलदार चितलवाना की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उक्त रिपोर्ट प्रार्थी को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिस पर उजर एतराज का प्रार्थी को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अवसर नही दिया गया और न ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। मौके पर जो ग्रेवल सड़क अपीलार्थी के खेत के उत्तरी–पूर्वी हिस्से पर चल रही है, उसे मौका रिपोर्ट में दर्शाया नही गया, जबकि उक्त रास्ता गुगल मेप में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। उक्त चालू रास्ता किस प्रकार से आमजन के लिए सुविधाजनक है, इस तथ्य पर गौर नही किया गया। जहां रास्ता चल रहा है, उसी जगह रास्ता दुरूस्त करने से आमजन को असुविधा हो जाने बाबत मौका रिपोर्ट में कोई उजर नही है। चालू रास्ते की जगह नक्शालता में रास्ता दर्ज करने से वर्तमान समस्या का पूर्ण समाधान हो जाता तथा अपीलार्थी के खेत के दो भाग होने से बच जाता व आमजन को रास्ते की सुविधा बरकरार रहती है। इस कारण ग्रेवल सड़क की जगह रास्ता अपीलार्थी के खेत में ही रखा जाकर नक्शा संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त रिपोर्ट में सेटलमेंट के नक्शें में रास्ते की जगह अपीलार्थी की ढाणी, मकान व चारवाडे के तथ्य को स्वीकार किया है, तब उस जगह रास्ता कायम रखा जाना किसी सूरत में उचित नही है। इन तथ्यों को गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी में पारित कर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रश्नगत रास्ता अपीलार्थी के खेत के उत्तरी–पूर्वी तरफ जहां ग्रेवल सड़क चल रही है, के स्थान पर दुरस्त करने तथा नक्शालता में अंकिए किये जाने तथा प्रार्थी के खेतों के बीच नक्शें में दर्शाये गये रास्ते को विलोपित किए जाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी–तहसीलदार चितलवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक 5424 दिनांक 10.6.25 को प्रस्तुत हुई। जिसके बिन्दु सं0 2, 3, 4, 6 व 7 में स्पष्टतः उल्लेखित है कि "खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.040 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि है, जो वक्त प्रथम सेटलमेंट से ही गै0मु0रास्ते के रूप में दर्ज है। इसी अनुरूप प्रथम सेटलमेंट व द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा भूमि की किस्म निर्धारित की है, इसमें सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की भूलचूक एवं त्रुटी नही की है। ख0नं0 1760 रकबा 0.040 है0 किस्म गै0मु0रास्ता के क्षेत्रफल व तरमीम वर्तमान में दुरस्त ही है, पुनः दुरस्ती की आवश्यता नही है व इसमें किसी प्रकार का घर, आवास नही बना हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0नं0 1759 किस्म गै0मु0रास्ता, दर्ज राजस्व रेकर्ड अनुसार चल रहा है तथा मौके पर उसी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अनुरूप कायम है। इसलिए ख0नं0 1760 में किसी भी दुरस्ती की गुंजाईश नही है तथा न ही इसमें पूर्व में कोई त्रुटी हुई है। वादग्रस्त आराजी में त्रुटी पूर्ण तरगीम नही हुई है। इसके उपरांत प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.6.25 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका जांच रिपोर्ट तलब करने का आग्रह किया गया। प्रकरण में दिनांक 19.6.25 को तहसीलदार चितलवाना की बिन्दुवार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जो प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं स्वयं प्रार्थी के विरूद्ध है। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.6.25 को "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते तथ्यात्मक रिपोर्ट पर आपत्ति बाबत" प्रस्तुत किया गया, जिसे आदेशिका दिनांक 19.6.25 के अनुसार वाद बहस खारिज कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.25 को पारित किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र महज वाक्याती व अनिति पूर्ण होने से अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अभिकथन, तहसीलदार (भू.अ.) चितलवाना द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट, के अनुसार रेकर्डेड तथ्यो व साक्ष्यों के विपरित है। अपीलांट का यह कथन भी मान्य नही है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उजर एतराज का अवसर नही दिया गया, इसका विवरण राजकीय अधिवक्ता की बहस में कमवार प्रकट है। अतः आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर) द्वारा राजस्व प्रार्थना संख्या 03/2025 (2025/31) बअनवान नेनाराम बनाम राज0 सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15-12-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

15/12/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर